

समाहरणालय, अरवल।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
17.06.2016	<p>न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, अरवल शस्त्र अनुज्ञाप्ति वाद सं० - 12/डी०एम०/2016</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>श्री कन्हैया सिंह, पे० : श्री रामनरेश सिंह, सा०-मसदपुर, थाना-परासी, जिला-अरवल द्वारा एक डी०बी०बी०एल० गन की अनुज्ञाप्ति हेतु वर्ष 2015 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 17.06.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।</p> <p>निर्धारित तिथि को आवेदक उपस्थित हुआ तथा उनका पक्ष सुना गया। साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे कृषि का कार्य करते हैं तथा वर्तमान में इनके पास 25 बिगहा पैतूक जमीन है। जिसके कारण भाकपा माले द्वारा इन्हें तंग-तबाह किया जाता है। जबकि पुलिस प्रतिवेदन में इनका पेशा ठिकेदारी अंकित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पूछने पर कि क्या आपके साथ कभी किसी प्रकार की अपराधिक घटना घटी है अथवा धमकी दिया गया है तथा उन्हें किस प्रकार की खतरा है अथवा कभी इनके द्वारा कभी सन्धा/प्राथमिकी दर्ज कराये जाने से भी इन्कार किया गया है। पृच्छा के क्रम में आवेदक द्वारा अपनी कुल आय 5,00,000/- रुपये मात्र बताया गया जबकि इनके द्वारा 2,50,000/- रुपये का आय प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें कृषि से मात्र 50,000/- एवं अन्य श्रोत से 2,00,000/- रुपये आय अंकित है। आवेदक द्वारा बताये गये आय एवं समर्पित कागजात में भी विरोधाभाष है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, अरवल के ज्ञापांक 170/गो० (शस्त्र), दिनांक 23.02.2015 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को जॉचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है। थाना अध्यक्ष, परासी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का पेशा कृषि है। तदोपरान्त आवेदक के जान माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और प्राधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	<p>हेतु अनुरोध किया गया है। लेकिन आवेदक को किसी विशेष सुरक्षा/भय होने के संबंध में "नहीं" प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जॉच प्रतिवेदन की कंडिका 10 के सभी बिन्दुओं पर नहीं प्रतिवेदित करने के बावजुद भी आवेदक को शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने हेतु अग्रसारित की गई है। लेकिन इसके लिए किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2) में अंकित है कि "आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवायेगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर समर्पित करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जॉच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे, उप धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के अन्य उपबंधों अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञाप्ति या तो अनुदात करेगा या अनुदात करने से इन्कार करेगा।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपरिथित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सुझातापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निर्सर्कष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को वर्तमान समय में रक्षा के बिंदू पर कोई सुरक्षा/भय/खतरा नहीं है तथा ऐसे में आवेदक को एक डी०बी०बी०एल० गन हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत किये जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।</p> <p>शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री कन्हैया सिंह, पै० : श्री रामनरेश सिंह, सा०—मसदपुर, थाना—परासी, जिला—अरवल के आवेदित एक डी०बी०बी०एल० गन की अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित जिला दण्डाधिकारी, अरवल १५/६/१६</p> <p>जिला दण्डाधिकारी, अरवल १५/६/१६</p>	